DISTRICT MAGISTRATE OFFICE GHAZIABAD

संदर्भ संख्या : 4334/O.A.-909/2019 दिनांक 15/11/2019

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi,
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 21.08.2019 in matter of OA No. 909/2018, Confederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad Vs. U.P. Pollution Control Board & Ors.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 21.08.2019 in matter of OA No. 909/2018, Confederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad Vs. U.P. Pollution Control Board & Ors., the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

District Magistrate
Ghaziabad

Copy to:

1- Additional District Magistrate (City), Ghaziabad for necessary action.
2- Standing Counsel, Hon'ble National Green Tribunal on behalf on District Administration, Ghaziabad for perusal and necessary action.
3- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
4- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad for perusal and necessary action.

District Magistrate
Ghaziabad

Scanned by CamScanner

Action taken report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 21.08.2019 in matter of OA No. 909/2018, Confederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad Vs. U.P. Pollution Control Board & Ors.

In reference to the order dated 21.08.2019 in matter of OA No. 909/2018, Confederation of Trans Hindon RWA's Ghaziabad Vs. U.P. Pollution Control Board & Ors. following direction have been issued:-

"..................5. During the course of hearing we have been informed that since the area has not been handed to the Municipal Corporation Ghaziabad, further steps are to be taken by the GDA.

6. Since the garbage dumped is a hazard for the environment and the public health, the same must be scientifically remedied. In this regard, we may refer to the order of this Tribunal dated 17.07.2019, O.A. No. 519/2019, News item published in "The Times of India" Authored by Jasjeev Gandhiok & Paras Singh Titled "Below mountains of trash lie poison lakes", wherein directions have been given for scientific handling of all waste dumps in the country.

In the light of the said order, following Committee is constituted to deal with the matter in Ghaziabad:

i. District Magistrate, Ghaziabad Chairman

ii. Vice-Chairman, GDA Member

iii. Municipal Commissioner, Ghaziabad Member

iv. Representative from State PCB Member

v. Representative from CPCB Member

7. The Committee may meet within a month and prepare an action plan in terms of order of this Tribunal dated 17.07.2019 and ensure clearance of the dumps within a reasonable time and furnish a progress report before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

List for further consideration on 19.11.2019. "

In compliance to the above order, District Magistrate, Ghaziabad vide letter dated 24.10.2019 **(Annexure 1)** constituted the committee as per the order of Hon'ble Tribunal to submit a time bound action plan for clearance of municipal waste dumped on the site. As the area in question is presently under the jurisdiction of Ghaziabad Development Authority, hence in compliance to the order of District Magistrate, Ghaziabad, Ghaziabad Development Authority vide letter dated 05.11.2019 has submitted a short term and long term action plan through the District Magistrate, Ghaziabad which has been received at Regional Office, UPPCB, Ghaziabad on 06.11.2019. According to the plan submitted following has been proposed by the authority :-

Short Term Action plan :-

1. For restriction of entry of animals, boundary wall and entry gate has been construct on the backside of the open land. Boundary wall has already been constructed on 02 sides and on remaining 01 side STP is already in existence.

Scanned by CamScanner

2. Dumps of Municipal waste has been levelled through JCBs and propane machines and covering of boundaries by GI sheets is under progress.
3. For continuous check and prohibition on incidences of burning of municipal waste, Ghaziabad Development Authority has deputed supervisor for 24 hours in 03 shifts. Further, submersible pump has also been installed for immediate control on burning of municipal waste incidences.
4. GDA has arranged 35 acres of land for setting up solid waste management plant (Waste to Energy) in village Galand, District Hapur. Ghaziabad Development Authority had proposed to construct double lane approach road of around 2.0 KM for the proposed solid waste management plant, construction of 01 lane has been completed.

Long Term Action Plan

1. Nagar Nigam has proposed to sift and scientifically dispose the municipal waste which is dumped at the Indirapuram site once the waste to energy plant is developed at village Galand, Hapur.
2. Out of 35 acres of land acquired at village Galand, 29.9230 acres of land has been handed over to Nagar Nigam Ghaziabad and the remaining land is proposed to be handed over to Nagar Nigam within 02 months.
3. Ghaziabad Development Authority has also proposed to bear all the expenses for disposal of the waste which is presently dumped at the site in question through Nagar Nigam, Ghaziabad.
4. Indirapuram Residential colony has not been handed over to Nagar Nigam at present. Shifting of the waste dumping site at Indirapuram is proposed to be shifted once the area is handed over to Nagar Nigam.

Further is has been informed that as per Ghaziabad master plan- 2021, installation of STP/WTP/Solid waste disposal has been reserved on the site in question due to which STP has been constructed on one part and solid waste has been collected on the remaining part of the site. The details of the plan submitted by Ghaziabad Development Authority is annexed as **annexure 2.**

The action taken report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.

(Ankit Singh)
Assistant Environmental Engineer
UPPCB, Ghaziabad

(Utsav Sharma)
Regional Officer
UPPCB, Ghaziabad

Additional District Magistrate (City), Ghaziabad

Scanned by CamScanner

6/11/19

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: 211/4/ई-ई-जोन-6/2019 दिनांक 05/11/2019

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

862/E.R.K.

A.D.M. (City)

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद
06/11/19

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, उ0प्र0।

विषय :- ओ0ए0 सं0-909/2018 कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्स हिण्डन रेजीडेन्स वेलफेयर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 21.08.2019 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वाद में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2019 के कम में आपके आदेश सं0-4004/ओ0ए0नं0-909/18/19 दिनांक 24.10.2019 के कम में एक्शन प्लान संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(संतोष कुमार राय)
सचिव

पृष्ठांकन : दिनांकः- / /2019

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदया को अवलोकनार्थ।
2. प्रभारी विधि को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ओ0ए0 सं0–909/2018 कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्स हिण्डन रेजीडेन्स वेलफेयर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 21.08.2019 के कम में एक्शन प्लान के सम्बन्ध मे।

ओ0ए0 सं0–909/2018 कन्फेडरेशन ऑफ ट्रान्स हिण्डन रेजीडेन्स वेलफेयर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 21.08.2019 के कम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश सं0–4004/ओ0ए0नं0–909/18/19 दिनांक 24.10.2019 के अनुपालन में एक्शन प्लान निम्नवत् है :–

लघुकालीन योजना

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 के कम सं0–8 के अन्तर्गत डम्पिंग ग्राउंड के चारों ओर फेन्सिंग, ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे गायों के डम्पिंग ग्राउंड में प्रवेश को रोका जा सके साथ ही डम्पिंग ग्राउण्ड के कूडे को दूसरे स्थल पर वैज्ञानिक तरीके से शिफ्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत शक्ति खण्ड–4 स्थित अस्थाई डंपिंग ग्राउंड के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये है/जा रहे है।

1. डम्पिग ग्राउंड के चारो ओर गाय एवं अन्य जानवर के प्रवेश को रोकने हेतु ग्राउंड के पीछे की ओर (शमशान की तरफ से) खुले स्थान पर बाउन्ड्रीवॉल तथा गेट का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राउंड के दो ओर बाउन्ड्रीवॉल पूर्व निर्मित है, तथा तीसरी ओर एस0टी0पी0 स्थित है।
2. डम्पिंग ग्राउंड के सौन्दर्यकरण के दृष्टिगत कूडे के ढेर को जे0सी0बी0 एवं प्रौपलेन मशीन की सहायता से समतल करते हुए ग्राउण्ड की बाउन्ड्रीवॉल के ऊपर जी0आई0 शीट लगाने का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
3. उक्त स्थल पर कूडे पर आग लगने को रोकने हेतु प्राधिकरण द्वारा 24 घंटे के लिए 3 शिफ्ट में सुपरवाईजर/मेट को पदस्थ किया गया है तथा आग लगने पर त्वरित नियंत्रण हेतु डंपिंग ग्राउण्ड में सबमर्सिबल पम्प की व्यवस्था की गयी है।
4. सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट संयत्र की स्थापना हेतु प्राधिकरण द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप/हाइटैक सिटी के डवलपर्स के माध्यम से 35.00 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 29.9230 एकड भूमि नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरित की जा चुकी है शेष भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही आगामी दो माह में की जानी प्रस्तावित है।
5. प्राधिकरण द्वारा गालन्द स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संयत्र की स्थापना हेतु लगभग 2 कि0मी0 डबल लेन एप्रोच रोड़ का निर्माण कार्य कराया जाना था, किन्तु कार्य के दौरान एक लेन पर वन विभाग द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण वन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में एक लेन सड़क का निर्माण प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है।
6. डम्पिंग ग्राउंड के आस–पास ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

दीर्घकालीन योजना

1. नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा राज्य सरकार एवं नीदरलैण्ड के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के आधार पर पी0पी0पी0 मॉडल पर हापुड जिले के गालन्द में कूडा एकत्रित कर तथा कूडे का उपयोग कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संयत्र लगाये जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम स्थित शक्तिखण्ड–4 के सम्पूर्ण कूडे को गालन्द पहुँचाया जाना प्रस्तावित है।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

2. सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट संयत्र की स्थापना हेतु प्राधिकरण द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप/हाइटैक सिटी के डवलपर्स के माध्यम से 35.00 एकड़ भूमि के सापेक्ष अवशेष भूमि 5.077 एकड भूमि नगर निगम गाजियाबाद को आगामी दो माह में हस्तांतरित की जानी प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में सम्पूर्ण शहर के कूडे का निस्तारण यदि नगर निगम द्वारा किसी अन्य माध्यम से कराया जा रहा है तो प्राधिकरण भी उसी रूप में नगर निगम से कराये जाने हेतु तैयार है तथा इस कार्य मे होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा वहन की जा सकती है।
4. इन्दिरापुरम आवासीय योजना नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हस्तांतरित नही हो पायी है। योजना हस्तांतरण के समय उक्त स्थल भी हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि :–

1. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986) के अधीन निर्गत अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन–2016 के बिन्दु सं0–15 के अन्तर्गत शहर के सम्पूर्ण सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जानी है।
2. प्राधिकरण द्वारा नगर निगम सीमा के अन्तर्गत विकसित किये गये क्षेत्र को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 के अन्तर्गत नगर निगम को रख रखाव हेतु हस्तांतरण किये जाने का प्राविधान है, जिसके कम में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 से अब तक लगातार नगर निगम गाजियाबाद से इन्दिरापुरम आवासीय योजना को हस्तांतरण हेतु अनेको बार अनुरोध किया गया है, किन्तु उक्त आवासीय योजना के हस्तांतरण की कार्यवाही नही हो पायी है।
3. जनसमान्य की सुविधाओं के दृष्टिगत रखरखाव के कार्यो हेतु विशेषज्ञता नहीं होने तथा आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ की कमी के बावजूद नगर निगम से सम्बन्धित कार्यो का निर्वहन जैसे–स्वीपिंग ऑफ रोड, डोर–टू–डोर कूडा कलेक्शन, नाली/नाला सफाई, सडक मरम्मत ,पार्क अनुरक्षण ,स्ट्रीट लाइट, सीवर एवं पेय जल इत्यादि का रख–रखाव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।
4. गाजियाबाद महायोजना–2021 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (STP)/ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP)/ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल (SWD) हेतु आरक्षित स्थल के कम में प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत शक्ति खण्ड–4 में उपरोक्त प्रयोजन हेतु स्थल आरक्षित किया गया है, जिसके अंश भाग पर प्राधिकरण द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में कियाशील है तथा अंश भाग पर महायोजना के प्रस्ताव के अनुसार कूडे का एकत्रीकरण भी किया जा रहा है।

4/11/19
अजीत

AE

4-11-19
ए० के० चौधरी
अधि० अभि०-6

बी०एन० सिंह
मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

पत्रांक 4004/OA No. 909/18/19 दिनांक 24-10-19

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन संख्या 909/2018 Confederation of Trans Hindan RWA's Ghaziabad Versus U.P. State Pollution Control Board & Ors. में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 को शक्ति खण्ड–4, मोहन नगर, नोएडा लिंक रोड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद पर अवैज्ञानिक(Unscientific) रूप से डम्प किये जा रहे घरेलू ठोस अपशिष्ट के रोकथाम एवं उक्त क्षेत्र में कूडे/ ठोस अपशिष्ट को नियमानुसार निस्तारण हेतु एक्शन प्लान तैयार करने तथा उसके कियान्यवन हेतु समिति का गठन किया जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित अधिकारियो को नामित किया जाता है:–

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि।

उक्त समिति द्वारा शक्ति खण्ड–4, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद में डम्प किये जा रहे घरेलू ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार हथालन एवं निस्तारण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30.10.2019 तक प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद

पत्रांक एवं दिनांक:– यथोपरि।
प्रतिलिपि:–

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

Scanned by CamScanner